भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

सफ्दरजंग अस्पताल एवँ लेड़ी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में "वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफ्दरजंगअस्पताल एवँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में "वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com ई- पर मेल कर सकते हैं।

(डॉ.पुलकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 23062744

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2024

सा.का.नि... - ...-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2020 जहाँ तक उसका संबंध ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के समूह 'क' पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार के अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	5*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। i. **सफदरजंग अस्पताल**-04 पद ii. **लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और संबंधित अस्पताल**-01 पद	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)।	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः नई दिल्ली में सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के पद से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-08(47600-151100 रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासनिक क्षेत्र में किसी संस्थान या विभाग द्वारा निर्दिष्ट किसी संगठन से दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण** : जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्तिः** (i) केन्द्रीय या राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त या सांविधिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रु.) में नियुक्ति के पश्चात उस	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी :-** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक(प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी :-** 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक(योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. निदेशक(प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से प्रोन्नति के विचारार्थ परामर्श आवश्यक है ।

[illegible] जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पदों पर चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री; और ii) किसी सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था के प्रशासन और स्थापना कार्य में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फाइल सं.-ए.12018/01/2023-एमएच-2]

(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार